न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-क

| दिनांक | फर्द अहकाम |
|---|---|
| 23/12/24 | पत्रावली पेश हुई। बार बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी सामल एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नही हुए। अत: मु०नं. 32/2024 उनवानी मुकुट बनाम बृजभान वगै० प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 39 नियम-2 (A) व धारा 151 जा० दी० अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। |

[illegible]

[illegible]

[illegible]